न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 467 सन 2018
अनवान :–

1. बलवीर पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।

वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 10.01.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चेनपुरा के खाता संख्या 123/137 के खसरा न0 40 की 11.0900हैक्ट व खसरा न0 177 की 2.7590हैक्ट दोनो खसरों की 13.8590हैक्ट भूमि में वादी का नाम बलवीर पुत्र हरलाल दर्ज है जबकि वादी का सही नाम बलवन्त पुत्र हरलाल दर्ज है यही नाम वादी के अन्य दस्तावेजात आयकर विभाग का पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र आम आदमी का आधार कार्ड, में दर्ज है वादी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार नोहर से वादी के वाद /नाम संशोधन के सम्बध मे रिपोर्ट /जबाब चाहा गया पेरोकार राज तहसीलदार नोहर ने रिपोर्ट पेश की रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 123/137 में दर्ज बलवन्त पुत्र हरलाल की जगह बलवीर पुत्र हरलाल राज्यहक प्रभावित नही होता हो तो शुद्व किये जाने पर कोई आपत्ति नही है

तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट आने पर शामिल मिसल की जाकर वकील वाद को सुना गया वकील वादी तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से सन्तुष्ट है व उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाना चाहता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चैनपरुा के खाता संख्या 123/137 की कुल 13.8590हैक्ट भूमि में बलवन्त पुत्र हरलाल दर्ज है वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड , मतदाता फोटो पहवान पत्र , में प्रार्थी का नाम बलवीर दर्ज है व सरपंच ग्राम पंचायत लाखासर की तस्दीक के अनुसार भी प्रार्थी का सही नाम बलवीर है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने पर राज्यहक प्रभावित नही होते है बल्की राजस्व रिकार्ड ही आदिनांक संशोधन होता है।

अतः तहसीलदार नोहर की अभिशषा/सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक /वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 123/137 में दर्ज कुल भूमि 13.8590है में वादी का नाम बलवन्त पुत्र हरलाल दर्ज है के स्थान पर बलवन्त उर्फ बलवीर पुत्र हरलाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Officia